

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या:-210/2025 (2025/485)

प्रार्थी

अप्रार्थी

मंगलाराम के का. मु. सुखराम वगैरा

बनाम

खेराजराम के का. मु. मोहनी वगैरा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2015 अनवान मंगलाराम बनाम खेराजराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 01.04.2025 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खाजिर हो गया। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 72/2015 अनवान मंगलाराम बनाम खेराजराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 01.04.2025 को पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी